## महत्वपूर्ण एवं खास

### अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार सीए की मौत, चालक घायल

**रायगढ़ (आरएनएस)।** पुसौर थाना क्षेत्र के लोहरसिंह ढाबा के पास अज्ञात वाहन ने स्विफ्ट डिजायर कार को ठोकर मार दी। घटना में कार सवार सीए की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक सीए एकांत अग्रवाल गजानंदपुरम रायगढ़ का रहने वाला है। 6 माह पहले ही उसकी शादी हुई है। बताया जाता है कि वह अपने कार से घर लौट रहा था। कार ड्राइवर चला रहा था तभी लोहरसिंह ढाबा के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारते हुए भाग निकला। इस हादसे में कार की परखच्चे उड़ गया।मौके में पहुँची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वही में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

### मानसिक रूप से परेशान युवक ने किया सुसाइड, पंद्दे पर लटकी मिली लाश

**जशपुर (आरएनएस)।** जिला मुख्यालय में अब से कुछ देर पहले मानसिक रुप से परेशान युवक ने मुख्य मार्ग के किनारे मौजुद विशाल पेड़ पर फाँसी लगा कर जान दे दी। पेड़ की बेहद ज़्यादा उंचाई की वजह से उसे उतारने की क़वायद जब तक की जाती तब तक युवक ने जान दे दी। जिस युवक ने फाँसी लगा कर जान दी है उसकी पहचान मनोज राम के रुप में हुई है। मृत युवक को लेकर मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बीते दो तीन दिनों से वह मानसिक रुप से परेशान था। जशपुर पुलिस मौक़े पर है, और मृतक को लेकर अन्य जानकारियाँ एकत्रित कर रही है।

### सट्टा-पट्टी के साथ 4 आरोपी पकड़ाए

**लगभग 6 हजार रूपये बरामद**

**रायपुर (आरएनएस)।** शहर के गोलबाजार एवं कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टा-पट्टी के साथ 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मो. शकील पिता मो. सिद्धकी 24 वर्ष, शंकर महानंद पिता बलीराम 30 वर्ष, रफिक खान पिता समसूजमा 35 वर्ष एवं घनश्याम शर्मा पिता गुपतेश्वर 42 वर्ष शामिल है। आरोपियों से कुल लगभग 6 हजार रूपये नगदी एवं सट्टा-पट्टी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

### कार में आग लगी, सवार युवक की झुलसकर मौत

**भिलाई (आरएनएस)।** चरोदा के पंचशील नगर पश्चिम में सतसंग भवन के पीछे स्थित सरकारी शराब दुकान के पास मारुति रिट्ज कार में लगी रहस्यमयी आग के कारण उसमें सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना आज शाम करीब 4.30 बजे की है। घटना में मृतक राजा जैन 38 वर्ष निवासी चरोदा पेशे से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर था। बताया जा रहा है कि मृतक का बाजार में काफी ज्यादा देनदारी थी। चर्चा यह भी है कि हाल ही में कुछ लोगों ने राजा जैन पर बकाया रकम की वापसी को लेकर दबाव बनाया, जिससे वह परेशान था। यह घटना कहीं आत्महत्या की है, दुर्घटना या फिर कोई तीसरी वजह है इस बारे में पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है।

# 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

**रायगढ़।** दिनांक 28/08/2021 को अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा जिला रायगढ़ के विशेष अपराधिक प्रकरण (पास्को एक्ट) 08/2020 संबंधित थाना तमनार के अपराध क्रमांक 164/2020 धारा 363, 365, 376, 419, आईपीसी 4 पास्को एक्ट के मामले में अभियुक्त अजीत सिंह पोर्ते पिता स्वर्गीय मानसिंह पोर्ते उम्र 39 वर्ष निवासी/थाना दीपका, जिला कोरबा हाल मुकाम वर्कर कॉलोनी टपरंगा थाना तमनार जिला रायगढ़ को माननीय न्यायधीश अच्छेलाल काछी, अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा द्वारा आरोपी को 10 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म/लैंगिक हमला करने के संबंध में आरोपित सभी धाराओं में दोषी पाते हुए पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

विदित हो कि तमनार पुलिस द्वारा इस गंभीर घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुये कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी के कब्जे से मुक्त किया गया था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानुसार 60 दिवस के भीतर चालान न्यायालय पेश किया गया।

जानकारी के अनुसार दिनांक 01.05.2020 के शाम तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 10 वर्षीय बालिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के स्कूल के पास खेल रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर एक युवक जो खाकी वर्दी पहने हुआ था आया और बच्चों को धमकाने लगा कि लाकडाउन में क्यों खेल रहे हो जाओ घर। वहां युवक की नियत एक छोटी बालिका पर खराब हुई और युवक उस बालिका को घर छोड़ दूंगा कहकर जबरदस्ती अपने मोटरसाइकिल में बिठाया और बालिका को घर ना ले जाकर कहीं और ले गया। बालिका को अज्ञात युवक मोटर सायकल में बिठाकर अपहरण कर ले जाने की खबर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनव कांत (तत्कालीन थाना प्रभारी) हो होने पर पूरे थाना स्टाफ को बालिका की खोजबीन में लगा दिये। थाने के आरक्षक अरविंद पटनायक को बालिका के गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर आरोपी अजीत पोर्ते के साथ मिली। बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 164/2020 धारा 363, 365 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनव कां सिंह द्वारा की गई है, किसके द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर धारा 376, 419 भादवि 6 पास्को एक्ट की धारा विस्तारित कर चालान न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से पेश किए गए दलिलो एवं साक्ष्य पर आरोपी द्वारा बालिका के साथ गुरूत्तर लैंगिक हमला करना पाए जाने पर दोषी करार दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुनील ठाकुर द्वारा न्यायालय में पैरवी की गई है।

## पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में महिला यात्री का हेंड बैग पार करने वाला आरोपी पकड़ाया

» आरोपी से चोरी का मोबाईल व 8 हजार रूपये बरामद

» शेष रूपये शराब व जुआ में उड़ा दिए

**रायपुर (आरएनएस)।** पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन से एक महिला यात्री का हेंड बैग पार करने वाले आरोपी को रायपुर रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब रायपुर के मार्गदर्शन में आज सुबह करीब 7.30 बजे रेसुब पोस्ट रायपुर प्रभारी एम के मुखर्जी, मंडल टास्क टीम द्वारा रेलवे स्टेशन रायपुर में गस्त एवं चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रेलवे स्टेशन रायपुर के पीएफ न 05 और 06 पर बिलासपुर छोर के पास घेरा बंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने आरोपी ने अपना नाम मंगल कल्यारी उर्फ लक्की पिता अशोक 25 वर्ष वर्तमान पता वाल्मिकी नगर अंबेडकर आवास कबीर नगर एवं स्थाई पता न्यू कलीम नगर शुक्रवारी बाजार गुढ़ियारी बताया। आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने स्वीकार किया कि करीब 20-22 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन रायपुर में खड़ी गाड़ी संख्या 02974 पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस के कोच संख्या एस/07 से एक महिला यात्री का हेंड बैग चोरी किया था। बैग में नगदी 28 हजार रूपये एवं एक एमआई कंपनी का मोबाइल कीमत 11 हजार रुपये थे। इसके बाद आरोपी के वाल्मीकि नगर घर से चोरी के नगदी 8000 रुपये व मोबाइल बरामद किया गया।

## दैनिक यात्रियों को मासिक टिकट देने की मांग : व्यापारी संघ

**रायगढ़ (आरएनएस)।** रायगढ़ व्यापारी संघ ने दैनिक यात्रियों की परेशानी को देखते हुए महाप्रबंधक दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे से मांग करते हुए कहा है कि दैनिक यात्रियों को मासिक टिकट शीघ्र उपलब्ध कराई जावे। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के संयोजक राजेंद्र अग्रवाल पूर्व जेड आर यू सी सी मेंबर एवं महामंत्री हीरा मोटवानी ने कहा कि कोरोना काल के बाद बहुत सारे नियम जो कि वक्ती तौर पर लगाए गए थे वह हटाने की आवश्यकता है। जिसमें दैनिक यात्रियों को मासिक टिकट उपलब्ध कराना एवं न्यूनतम किराया 30 रु से घटाकर 10 रु

किया जाना उचित होगा। उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर आम आदमी सफर करता है ऐसे में सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा की टिकट 30 रु वहन करना महंगा पड़ता है। वर्तमान में पैसेंजर ट्रेन फिर से प्रारंभ हुई है परंतु उनकी टिकट दर कम नहीं हो पाई है खरसिया से धर्मजयगढ़ रेल लाइन पर एक पैसेंजर ट्रेन प्रस्तावित है धरमजयगढ़ क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जिसके कई नागरिकों ने तो आज तक रेल यात्रा नहीं की होगी और कौतूहल वश वे यात्रा जरूर करना चाहेंगे ऐसे में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आम नागरिक को टिकट महंगी पड़ेगी इसलिए इसका किराया न्यूनतम 10 रु होना चाहिए। व्यापारी संघ के सदस्य राजेश अग्रवाल बजरंग महामिया ने जिलाध्यक्ष महोदय रायगढ़ से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए महाप्रबंधक रेलवे से पत्राचार कर किराए की न्यूनतम दर10 रु करवाने का प्रयास करें।

## ट्रक में क्रूरतापूर्वक मवेशी तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार

» आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराई गई 38 नग मवेशी

» बूचड़ खाना ले जाने के लिए मवेशी उपलब्ध कराने वाले दो स्थानीय लोगों पर भी नामजद एफआईआर

**रायगढ़।** दिनांक 30/08/2021 की रात्रि गस्त पर रवाना हुए चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उपनिरीक्षक जेम्स कुजूर को मुखबिर से सूचना मिली कि चरखापारा काजू बाड़ी के पास मवेशी तस्कर एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक कृषक मवेशियों को लोड़कर झारखंड बूचड़खाना ले जाने वाले हैं। सूचना पर तत्काल गवाहों व अतिरिक्त स्टाफ को साथ लेकर चौकी प्रभारी बाकारूमा फॉरेस्ट बेरियर के पास पहुंचे,

जहां कुछ देर इंतजार करने पर ट्रक क्रमांक जेएच 01 बीएच-5545 को रोके। ट्रक के डाला में क्षमता से अधिक 38 नग छोटे बड़े कृषक मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर रखा गया था। ट्रक में दो व्यक्ति बैठे मिले चालक अपना नाम कुददुस अंसारी तथा परिचालक अपना नाम सज्जाद अंसारी लोहरदगा झारखंड का रहने वाला बताए। आरोपी कुददुस अंसारी एवं सज्जाद अंसारी से कड़ी पूछताछ पर दोनों चरखापारा रैरूमाखुर्द के गुड्डा उर्फ महेंद्र साहू एवं इंद्रो यादव से मवेशी खरीद कर ट्रक में मवेशियों को झारखंड बूचड़खाना ले जाना बताएं। जिस पर परिवहनकर्ता के साथ गुड्डा उर्फ महेंद्र साहू एवं इंद्रो यादव चरखापारा रैरूमाखुर्द के विरूद्ध धारा 4,6,10 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11-घ पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया है। मौके पर

गिरफ्तार आरोपी 1-कुददुस अंसारी पिता सफरूद्दीन अंसारी 38 साल निवासी इस्लामनगर लोहरदगा थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा झारखंड 2- सज्जाद अंसारी पिता रिजवान अंसारी उम्र 29 वर्ष अलीनगर लोहरदगा थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा झारखंड को कल रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी एवं गुड्डा उर्फ महेंद्र साहू एवं इंद्रो यादव फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है।

## छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटो के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

स्थानीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमानों में प्रदेश के सभी संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुए। रायपुर व दुर्ग संभाग में सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों में सामान्य रहे। प्रदेश में आज सर्वाधिक तापमान 33.2 डिग्री दुर्ग में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मानसून द्रोणिका बीकानेर, अजमेर, शिवपुरी, निम्न दाब के केंद्र, विशाखापट्टनम और उसके बाद दक्षिण-पूर्व की ओर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है, जिससे अगले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

## विदेश यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

**कोण्डागांव (आरएनएस)।** जिले के थाना कोतवाली अंर्तगत विदेश यात्रा ले जाने के नाम शिकायत जांच पर प्रार्थी एवं अन्य गवाहों के कथन के बाद आरोपी अनिल रावत के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के खाता क्रमांक 37213384775 आरोपी एवं उसकी पत्नी खुशबु रावत के नाम के संयुक्त नाम से होना पाये जाने से प्रकरण में पत्नी को भी सह आरोपी बनाया बनाते हुए धोकाधड़ी के फरार आरोपी अनिल रावत को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना कोंडागांव के अपराध क्रमांक 316/2020 धारा 420, 34 भादवि मामले के

प्रार्थी सत्येंद्र देवांगन निवासी विकास नगर कोंडागांव ने लिखित शिकायत दिया गया कि औरा कांसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल रावत के द्वारा उसे व उसके 05 अन्य साथी संतोष देवांगन, मनीष राजपूत, ज्योति कुमार कमलासन, संजीव शर्मा, व ज्ञानेश देवांगन को बैंकाक जाने के लिये टूर के बुकिंग के नाम से प्रति व्यक्ति 22 हजार रूपये कुल रकम 01 लाख बत्तीस हजार भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 37213384775 में प्रार्थी सत्येंद्र देवांगन के द्वारा अपने बैंक खाते से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जमा किया गया, उक्त जमा की रसीद आरोपी अनिल रावत के द्वारा 26 सितंबर 2018 को दिया था। रूपये जमा करने के बाद भी अनिल रावत के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य लोगो को बैंकाक टूर की हवाई टिकट व होटल बुकिंग नही किया गया। विवेचना दौरान आरोपी का पता तलाश किया गया जो कि आरोपी अनिल रावत सकूनत पर मिलने से उससे घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो आरोपी के द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तार किया गया।

### मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार

**कोण्डागांव (आरएनएस)।** जिले के थाना धनोरा अंर्तगत शीतला मंदिर का ताला तोड़कर एम्प्लीफायर 250 वॉट 01 नग, 03 नग हेण्ड माईक लीड सहित चोरी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 42/2021 धारा 457, 380 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धनोरा थाना से विशेष टीम गठित कर माल मुल्जिम का पता तलाश कर त्वरित कार्यवाही करते हुए चंद घण्टो में आरोपी के कब्जे से चोरी हुई संपत्ति एम्प्लीफायर 250 वॉट 01 नग , 03 नग हेण्ड माईक लीड सहित एवं थाना धनोरा के ही अपराध क्रमांक 31/2021 धारा 380, 457 भादवि में चोरी हुई संपत्ति थाली, गिलास आदि को आरोपी के कब्जे से बरामद करते हुयेचोरी के आरोपी पुरूषोत्तम बघेल पिता स्व नोहरसिंह बघेल उम्र 43 वर्ष जाति हल्बा साकिन बहीगांव व्यापारीपारा थाना केशकाल गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

## सहायक शिक्षक पद के लिए 89 अभ्यर्थी चयनित

» शिक्षकों को 15 सितम्बर तक करना होगा कार्यभार ग्रहण

**रायगढ़ ।** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापित पदों के विरुद्ध रायगढ़ जिले में सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)ई संवर्ग 33, टी संवर्ग 51, सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) कला 01 एवं विज्ञान 04 कुल 89 अभ्यर्थी पात्र पाये गये हैं। चयनित अभ्यर्थियों की पदांकन आदेश पृथक-पृथक तैयार कर अभ्यर्थियों के पते में भेजा जा रहा है। आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। चयनित अभ्यर्थियों को पदांकित शाला में दिनांक 15 सितम्बर 2021 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। पदांकित शाला की सूची स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाईट www.eduportal.cg.nic.in एवं www. raigarh.gov.in में देखी जा सकती है।

सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)ई संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों में देवेश पटेल, उमेश पटेल, पंकज कुमार पांडे, प्रेरणा पटेल, शशिकांत साहू, तुलेश पटेल, किशन गबेल, हरिश पटेल, दुर्गा प्रसाद रात्रे, निशांत कुमार साव, ऐश्वर्या प्रभा पटेल, कमल किशोर देवांगन, तनु शुक्ला, राघवेन्द्र कुमार, भीम कुमार पटेल, ऐश्वर्या रानी तिवारी, चांदनी, कुलदीप पटेल, देव कुमार खांडे, लेखराम, सावित्री नायक, अक्षय कुमार, सुषमा चौहान, रूपेन्द्र कुमार सिदार, राम कृष्णा, जय कुमार, शैलेष सिंग, रीता खड़िया, विकास सिंग, गीता, सतीश कुमार कोरम, जयप्रकाश भोई एवं चुणामणी श्रीवास शामिल है।

सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)टी संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों में महेश्वर कुमार साहू, शामिल हुसैन, संजय कुमार साव, राहुल गौतम, केशव कुमार साव, निराकार प्रधान, लोकेश्वर पटेल, हरिचरन कर्ष, अंकित श्रीवास्तव, सौरभ शर्मा, अंकुर राठौर, अक्षय कुमार कुशवाहा, शेखर चंद्रा पटेल, रमेश कुमार, भानुप्रताप पटेल, गजेन्द्र कुमार पटेल, लोकेश कुमार, धनंजय कुमार केवट, रीतू पटेल, राखी साहू, भाविनी रूपा दुबे, शैलेष रंजन, लोविलीन वर्मा, निधि, नम्रता पटेल, सुख सागर, संतोष कुमार भारद्वाज, अजय कुमार, मनीष खांडेकर, भीखम प्रसाद, अमन कुमार अग्रवाल, कल्पना केसर, संतोष सिंग परास्ते, परमेश्वर सिंह कंवर, पप्पू लाल दीवान, निमाई भोय, प्रवीण कुमार, बिनिता प्रिते एक्का, पीपलाल राज कंवर, राजू कुमार, सचिन कुजूर, शिवाजी, नंदा, गायत्री बरिहा, किरती सिंग, गायत्री बिसाल, अभिषेक कुमार, खगेश कुमार साहू, राम प्यारे खुशरो, क्रांति कुमार बंजारे, मनीष कुमार भोई शामिल है। सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) कला में रीता सिंग एवं विज्ञान समूह में मुकेश मेहर, अभिषेक साहू, नेहा साहू तथा उपेन्द्र कुमार आजाद शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480